स्वातंत्र्य अधिकार
(अनुच्छेद 19–22)

सभी नागरिकों को–

(1) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का,

(2) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(3) संगम या संघ बनाने का,

(4) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(5) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और,

(6) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हित में सरकार सीमित कर सकती है।

(अनु. 19)

> 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 (1) C में 'संघ' के बाद या 'कोऑपरेटिव सोसाइटीज' शब्द जोड़े गए हैं।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उसने उस समय किसी अधिरोपित विधि का उल्लंघन किया है, तथा उस विधि के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड से अधिक का भागी नहीं होगा।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(अनु. 20)

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा नया अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया है इसके द्वारा "राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी यह सम्बन्धित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।"

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण–किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। (अनु. 21)

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से तुरन्त अवगत कराना पड़ेगा तथा उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने एवं अपने बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के समय को छोड़कर गिरफ्तारी से चौबीस घण्टे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है।

(3) खण्ड (1) तथा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो–

(क) शत्रु देश का नागरिक है, या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

(4) निवारक निरोध की विधि किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति आवश्यक है। (अनु. 22)

शोषण के विरुद्ध अधिकार
(अनुच्छेद 23–24)

(1) **मानव के दुर्व्यापार और बलात्-श्रम पर रोक**–मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस सम्बन्ध में राज्य कोई भी विधि बना सकेगा तथा राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के अधिरोपित कर सकता है। (अनु. 23)

(2) **कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध**–चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। (अनु. 24)

धार्मिक स्वतन्त्रता
(अनुच्छेद 25–28)

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता–

(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

(2) राज्य इस सम्बन्ध में ऐसी विधि बना सकेगा जो

(क) धार्मिक आचरण से सम्बन्धित किसी राजनीतिक वित्तीय या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है,

(ख) सुधार एवं सार्वजनिक कल्याण के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

(ग) कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग माना जाएगा।

(घ) हिन्दुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति भी निर्देश तथा संस्थाओं से तात्पर्य भी इन सभी की संस्थाओं से है। (अनु. 25)

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता–लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–

(1) धार्मिक और पूजा प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(2) अपने धर्म-सम्बन्धित कार्यों का प्रबन्ध करने का

(3) चल और अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा

(4) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। (अनु. 26)

धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता–किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए विनियोजित किए जाते हैं। (अनु. 27)

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता–

(1) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(2) उपर्युक्त प्रावधान उस शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन वह किसी ऐसे न्यास या विन्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(अनु. 28)

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
(अनुच्छेद 29–30)

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण–

(1) भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी

अपनी लिपि, सस्कृति या भाषा है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा

(2) राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा सस्था मे किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूलवश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वचित नही किया जाएगा (अनु 29)

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार–

(1) धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा सस्थाएँ स्थापित करने एव उनका प्रशासन करने का अधिकार है

(2) राज्य ऐसी सस्थाओ की सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करते समय यह ध्यान रखेगा कि सस्था को इतनी रकम मिल जानी चाहिए कि उसके हित बने रहे

(3) राज्य शिक्षा सस्थाओं को सरकारी सहायता देने मे इस प्रकार की शिक्षा सस्थाओं में तथा अन्य शिक्षा सस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा (अनु 30)

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

(अनुच्छेद 32–35)

मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार–

(1) इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है

(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऐसे आदेश या रिट, जैसे–बदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट निकालने का अधिकार है

(3) ससद उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बनाए रखते हुए उपर्युक्त अधिकार किसी क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालय को स्थानीय सीमाओ के भीतर प्रदान कर सकती हैं (अनु 32)

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति–ससद विधि द्वारा (1) सशस्त्र बलो के सदस्यो को या (2) लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलो के सदस्यो या (3) राज्य द्वारा स्थापित इण्टेलीजेन्स ब्यूरो या अन्य सगठनों में नियोजित सदस्यों को या (4) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर सचार प्रणाली में या उससे सम्बन्धित नियोजित व्यक्तियों को इन अधिकारों को लागू होने में सीमाए निर्धारित कर सकती है जिससे यह कार्य निर्बाध रूप से सुनिश्चित रूप से होता रहे (अनु 33)

जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर बन्धन–ससद ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दण्डादेश दिए गए दण्ड या अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी (अनु 34)

राज्य के नीति निदेशक तत्व

(अनुच्छेद 36-51)

इसमे अन्तर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगे, लेकिन फिर भी यह देश के शासन के आधार हैं तथा विधि बनाने मे इन तत्वो को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा (अनु 37)

(1) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा (अनु 38)

(2) राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओ को कम करने तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओ तथा अवसर की असमानताओ को समाप्त करने का प्रयास करेगा

(3) राज्य स्त्री तथा पुरुष, सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा

(4) समुदाय के भौतिक ससाधनो का नियन्त्रण राज्य इस प्रकार करे कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो

(5) राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन के साधन तथा धन का अहितकारी सकेन्द्रण न हो

(6) राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके अन्तर्गत पुरुष तथा स्त्रियो को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए

(7) राज्य इस प्रकार का प्रबन्ध करे कि कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य एव शक्ति का दुरुपयोग न हो

(8) बालकों के स्वतन्त्र एव गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर एव सुविधाएं दी जाए तथा उनकी नैतिक, आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए (अनु 39)

(9) सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो (अनु 39 क)

(10) ग्राम पचायतों का गठन होना चाहिए जिससे स्वायत्त शासन मजबूत हो सके (अनु 40)

(11) राज्य, काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढापा, बीमारी तथा अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के लिए प्रबन्ध करें (अनु 41)

(12) राज्य काम की न्यायसगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे (अनु 42)

(13) राज्य कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक तथा सास्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढाने का प्रयास करेगा (अनु 43)

(14) उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगा (अनु 43 क)

अनुच्छेद 43. ख

97वें सविधान सशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 ख (43B) जोडा गया है जिसके अनुसार राज्य को कोओपरेटिव सोसाइटीज के ऐच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्य, लोकतात्रिक नियन्त्रण और व्यवसायिक प्रबन्धन के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करना चाहिए

(15) राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल सहिता लागू कराने का प्रयास करेगा (अनु 44)

(16) राज्य बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा (अनु 45)

अनुच्छेद 45 में संशोधन

86वें सविधान सशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 मे सशोधन किया गया है जिसमे छह साल से कम उम्र के बच्चो की शुरूआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 "राज्य को सभी बच्चो को तब तक के लिए शुरू आती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नही हो जाता है"

(17) राज्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा (अनु 46)

(18) राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा (अनु 47)

(19) राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढग से सगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा (अनु 48)

(20) राज्य देश के पर्यावरण के सरक्षण तथा सवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा (अनु 48 क)